न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : **02/2020** (राजस्व अपील)
GCMS No. 2020/00004

अनवान

1. श्रीमती मनीषा भील पत्नी खेमराज भील, निवासी–पलसिया, तहसील–खेरवाड़ा, जिला–उदयपुर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री लक्ष्मण कलाल पिता कोदरा जी कलाल, निवासी–पलसिया, तहसील–खेरवाड़ा, जिला–उदयपुर।
2. श्री मोहनलाल कलाल पिता कोदरा जी कलाल, निवासी–पलसिया, तहसील–खेरवाड़ा, जिला–उदयपुर।
3. तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला–उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री यतेन्द्र दाधीच, अपीलान्ट्स अधिवक्ता।
2. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार खेरवाड़ा, प्र.स. 01/2019 (अंतर्गत धारा 183–ख, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955) मे पारित आदेश दिनांक 17.03.2020

* निर्णय *

दिनांक– 23-10-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा धारा 183(ख), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मे पारित निर्णय दिनांक 17.03.2020 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट जनजाति वर्ग की महिला है एवं मौजा पलसिया, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बड़ला, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर मे अपीलान्ट की खातेदारी भूमि स्थित है, जिसके आराजी संख्या 1112 रकबा 0.06 हेक्टयर है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने जबरन कब्जा कर लिया, जिस पर अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा के समक्ष दिनांक 23.12.2019 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (ख) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा 17.03.2020 को खारिज कर दिया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, की धारा 42 (ख) के अन्तर्गत बेचानमान रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 का परिवाद पेश करने का आदेश दे दिया। अपीलान्ट की भूमि जनजाति वर्ग के सदस्य की खातेदारी भूमि है, जिस पर अन्य जाति के व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नही होते है। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड न्यायालय खेरवाड़ा मे एक वाद अन्तर्गत धारा 188 मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमे उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को बाद सुनवाई अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था। धारा 183(ख) अनुसूचित जनजाति के खातेदारी भूमि की रक्षा के लिए बनायी गयी है एवं धारा 183 (ग) के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति यदि अनुसूचित जनजाति की भूमि पर कब्जा करता है तो उसे बेदखली के साथ 2 वर्ष की सजा प्रदान की

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.10.28 11:22:00 IST
Reason: SelfAttested

जायेगी। अपीलान्ट द्वारा विगत कई वर्षो से रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही का प्रयत्न किया गया है, किन्तु हर बार पटवारी द्वारा विवादित आराजीयात पर कब्जा व खातेदारी रेस्पोडेन्ट्स की ही मानी है जिस पर अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने नायब तहसीलदार खेरवाड़ा व सेटलमेन्ट विभाग द्वारा ई.टी.एस. मशीन से दिनांक 25.11.2019 को नपति की गई, जिसमे स्पष्ट रूप से अपीलान्ट की खातेदारी 0.0150 हेक्टेयर भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कब्जा कर दो मंजिल निर्माण किया जाना पाया गया, जिसकी पुष्टि स्वयं नायब तहसीलदार द्वारा भी मौके पर जाकर नपती कर दिनांक 07.02.2020 को की गई। उक्त रिपोर्ट को भी तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा नही माना गया। तहसीलदार खेरवाड़ा की पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत सादे कागज पर कच्ची लिखमत सन् 2014 को आधार मानकर तहसीलदार खेरवाड़ा ने अपीलान्ट की भूमि का बेचाननामा मान लिया, जबकि न तो लिखमत पर खातेदार के हस्ताक्षर है, न आराजी नंबर है, न गांव का नाम है, न जिले का नाम है। तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को गलत लाभ पंहुचाने एवं उन्हे सजा से बचाने के लिए उक्त दस्तावेज को विक्रय दस्तावेज मान लिया, जबकि कानून मे स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी लिखमत जिसका बाजार मूल्य 100/– से अधिक हो उसका स्टाम्प पर निष्पादत करना अनिवार्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.03.2020 को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को अपीलान्ट की भूमि से बेदखल करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री अरूण व्यास व अन्य एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा से प्रकरण से संबधित मूल पत्रावाली तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अनुरोध किया कि मौजा पलसिया, तहसील खेरवाड़ा की आराजी संख्या 1112 रकबा 0.06 हेक्टेयर भूमि की अपीलान्ट रेक्र्डेड खातेदार होकर अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (ख) जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के हितो के लिए बनाई गई। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा को दो विधिक तथ्यो पर ही अपनी राय कायम करनी थी। प्रथम क्या विवादित आराजी अनुसूचित जनजाति की खातेदारी मे है एवं दूसरा क्या अनुसूचित जनजाति की भूमि पर अन्य वर्ग के व्यक्ति ने अतिचार कर रखा है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा ने उक्त विधिक बिन्दु से परे जाकर बिना पंजीकृत दस्तावेज के एक शून्य आदेश पारित किया है। माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने के बावजुद रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलान्ट की भूमि पर भुजबल के सहारे दो मंजिला स्थायी निर्माण किया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को 183 (ख) के अन्तर्गत

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.10.28 11:22:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रदान किये जाने वाले दण्ड से बचाने के लिए उक्त आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

बहस मे भाग लेते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि अपीलान्ट ने सर्वप्रथम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 188, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत यह दर्शाकर प्रस्तुत किया कि मौजा पलसिया की आराजी संख्या 1112 एवं 1385/1109 उसके खाते दर्ज होकर पुस्तेनी है, जिसे पति द्वारा दिनांक 24.06.2015 को बक्शीश किया गया है तब से काबिज है, जिसके पूर्व दिशा मे रेस्पोडेन्ट्स की आराजी होकर मकान वाउण्ड्री वाल निर्माण हेतु दिनांक 09.03.2019 को मौके पर नीवं खोदना शुरू किया, शिकायत पर कोई कार्यवाही नही हुई, ऐसे मे निषेधाज्ञा चाहिये। उक्त प्रकरण का जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त मामला साक्ष्य वादी की स्टेज पर था। जवाब मे रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी भूमि पीछे होने, रास्ता नही होने, विवादित आराजी रास्ते से लगी होने, आने–जाने हेतु रास्ते की सुविधा हेतु अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी से रास्ते की मांग की, जिसमे राशि 40,000/– लेकर दिनांक 18.12.2014 को एक लिखतम रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष मे स्वेच्छा से रास्ता निर्माण की अनुमति दी एवं 5 साल से रास्त कायम है। उक्त कार्यवाही के दौरान ही अपीलान्ट ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 183 (ख) उक्त प्रकरण मे पेश कर दिया, जो भ्रामक होकर प्रकरण मे शामिल पत्रावली किये जाने योग्य था, किन्तु उपखण्ड अधिकारी ने उसे रेस्पोडेन्ट संख्या 3, तहसीलदार खेरवाड़ा को अग्रेषित कर दिया, जिससे यह पत्रावली कायम हुई दोनो पक्षो का साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त प्रकरण निर्णित हुआ। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा ने भी अपने निर्णय मे यह स्पष्ट किया कि धारा 42 (ख) का अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी द्वारा उल्लंघन करने से मामला 183 (ख) मे न होकर धारा 175 व 176 का बनता है। जिस दरख्वास्त पर पत्रावली कायम हुई है, उस पर न तो पक्षकारों का नाम है न आराजी नंबर, मौजा कुछ भी अंकित नही है। उक्त आवेदन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश हुआ तो उसका अन्तरण करने के बजाय शामिल पत्रावली करना था। एक मामले मे दो कार्यवाही एक साथ नही चल सकती है। धारा 183 (ख) अनुसूचित जनजाति की सदस्य की भूमि पर अन्य वर्ग के सदस्य के अतिक्रमण पर प्रभावी है, किन्तु जहां खातेदार अथवा उसके पूर्वाधिकारी द्वारा अपनी स्वेच्छा से रास्ता दिया हो एवं उसकी कीमत ली तो वह अतिक्रमण की परिभाषा मे नही आता है। एक आपत्ति उक्त लिखतम के पंजीकृत न होने की ली गई व ऐसा दस्तावेज साक्ष्य मे ग्राह्य न होना कहा गया है, किन्तु ऐसी कोई आपत्ति साक्ष्य मे दस्तावेज प्रदर्शित कराते समय नही की गई है अतः अपील अपीलान्ट सव्यय खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः–

- आर.आर.डी. 2014 पृष्ठ 499
- आर.आर.डी. 2013 पृष्ठ 275
- आर.आर.डी. 2010 पृष्ठ 16
- आर.आर.डी. 1980 पृष्ठ 744

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.10.28 11:22:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे राजकीय अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 01/2019 अन्तर्गत धारा 183 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मे धारा 42 (ख) का उल्लंघन मानते हुए धारा 175 एवं 176 के तहत कार्यवाही किये जाने का आदेश नियमानुसार दिया जाना अवगत कराया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट की अपील, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा मे धारा 183 (ख), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं अपीलान्ट की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 1112 रकबा 0.06 हेक्टेयर पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उपखण्ड न्यायालय खेरवाड़ा मे वाद विचाराधीन होने के बावजूद अपीलान्ट की खातेदारी भूमि मे निर्माण करना अवगत कराया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा एक कच्ची लिखतम के आधार पर धारा 42 (ख) का उल्लंघन माना एवं प्रकरण 183(ख) का न मानते हुए धारा 175 एवं 176 के तहत कार्यवाही करने का आदेश पारित किया है। मामले के गंभीरता पूर्वक अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि स्टाम्प एक्ट की धारा 35 के अनुसार राशि 100/– से अधिक के विक्रय को स्टाम्प पर निष्पादित किया जाना अनिवार्य है। इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा धारा 42(ख) उल्लंघन माना है जो त्रुटि पूर्ण है एवं ऐसे दस्तावेज को साक्ष्य के रूप मे ग्राह्य नही किया जा सकता है। अपीलान्ट का अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला होना एवं उसकी खातेदारी भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अवैध रूप से निर्माण करना प्रकरण मे स्पष्ट जाहिर हुआ है एवं इस प्रकार प्रकरण धारा 183(ख), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रकरण बनता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा को धारा 183(ख), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिये थी। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 17.03.2020 त्रुटिपूर्ण होने से प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 17.03.2020 को अपास्त किया जाता है एवं अपीलान्ट की खातेदारी भूमि से रेस्पोडेन्ट्स को बेदखल के आदेश दिये जाकर तहसीलदार खेरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार पालना कर अपीलांट को एक माह मे कब्जा सुपुर्द करना सुनिश्चित करावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.10.28 11:22:00 IST
Reason: SelfAttested